न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

नानचन्द पुत्र श्री मफतलाल, जाति-कोली, निवासी-बांट, तह. रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, जेतावाडा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, जेतावाडा, तहसील- रेवदर
2. पूनमा पुत्र श्री दाना, जाति- कलबी, निवासी- बांट, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 05/2016

''निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 21 अक्टूम्बर, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा अप्रार्थी पूनमा पुत्र श्री दाना, जाति- कलबी, निवासी- बांट के पक्ष में क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूखण्ड़ के नि:शुल्क आवंटन का जारी पट्टा संख्या 6 दिनांक 30.12.1982 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, जेतावाडा से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड तलब किया गया। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से लिखित जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत किये। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 15.3.2016 को सरपंच, ग्राम पंचायत, जेतावाडा उपस्थित हुये। उसके बाद अप्रार्थी ग्राम पंचायत, जेतावाडा की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जेतावाडा के पत्र क्रमांक/ग्रा.पं./जेता./410 दिनांक 05.3.2019 से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त हुई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम बांट में प्रार्थी के पुराने कब्जे भोगवटे का एक भूखण्ड़ आया हुआ है जिसकी चर्तुदशी अनुसार उत्तर में जगसी पुत्र केवला जी कोली का मकान, दक्षिण

.....पेज दो पर

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

में पडत भूमि, पूर्व में बापला रोड (डामर) व पश्चिम में आम रास्ता व आगे किर्ती पुत्र चमनाजी का भूखण्ड़ आया हुआ है एवं नाप उत्तर-दक्षिण 45 फीट व पूर्व-पश्चिम 30 फीट कुल 1350 वर्गफीट है। प्रार्थी के उक्त पुराने कब्जेशुदा भूखण्ड़ पर प्रार्थी के स्वामित्व का एक केबिन करीब 24 वर्षो पुराना लग़ा हुआ है जिसमें प्रार्थी के नाम से विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है तथा मौके पर प्रार्थी के 10 ट्रोली पत्थर व बजरी आदि पडे हुए है। प्रार्थी ने अपने उक्त पुराने कब्जे भोगवटे के भूखण्ड़ के चारों और तारबंदी पुराने समय से की हुई है। उक्त भूखण्ड़ प्रार्थी के पुराने कब्जे भोगवटे का है जिस पर अप्रार्थी संख्या- 2 या उसके परिवारजनों का कभी भी कब्जा नही रहा है तथा न ही उक्त भूखण्ड़ अप्रार्थी संख्या-2 के स्वामित्व का है, फिर भी अप्रार्थी संख्या-2 और उसके नुमाईन्दे प्रार्थी के पुराने कब्जे भोगवटे के उक्त भूखण्ड़ पर अवैध रुप से कब्जा करने पर आमदा हुये एवं प्रार्थी की तारबंदी तोड दी। प्रार्थी के विरोध करने पर अप्रार्थी संख्या-2 ने पट्टा संख्या 6 दिनांक 30.12.1982 प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड़ पर अपना हक जताया, जबकि प्रश्नगत पट्टे में अंकित चतुर्दशी व नाप मौके की स्थिति अनुसार मेल नही खाती है। अप्रार्थी संख्या-2 को किस जगह का पट्टा जारी किया है, यह स्पष्ट नही है। ग्राम पंचायत, जेतावाडा ने विधिवत कार्यवाही किये बिना ही अप्रार्थी संख्या-2 को नि:शुल्क भूखण्ड़ आवंटन का पट्टा संख्या 6 दिनांक 30.12.1982 को जारी किया जाना अंकित किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या-2 साधन सम्पन्न व्यक्ति है जिसके पास कृषि कुऐं की भूमि व ग्राम बांट में मकान भी है इस कारण अप्रार्थी संख्या-2 नि:शुल्क भूखण्ड़ प्राप्त करने की पात्रता नही रखता है उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। यह कि उक्त नि:शुल्क पट्टे में अंकित शर्त अनुसार अप्रार्थी संख्या-2 को नि:शुल्क आवंटित भूखण्ड़ पर दो वर्ष के भीतर मकान का निर्माण करना था, लेकिन अप्रार्थी संख्या-2 का मौके पर न तो कब्जा है व न ही कोई आवासीय मकान है। इस प्रकार, अप्रार्थी संख्या-2 ने पट्टे में अंकित शर्त का भी उललंघन किया है। अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी नि:शुल्क भूखण्ड़ आवंटन का पट्टा संख्या 6 दिनांक 30.12.1982 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित चतुर्दशी पट्टा संख्या 6 की चतुर्दशी नही है। प्रार्थी ने गलत व मनगंढत चतुर्दशी निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित की है। अप्रार्थी संख्या-2 को ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 6 दिनांक 30.12. 1982 में अंकित चतुर्दशी एवं नाप अनुसार उत्तर दिशा में रुपा पुत्र वनाजी कलबी का भूखण्ड़, दक्षिण दिशा में खेमा पुत्र मेघराज का भूखण्ड़, पूर्व दिशा में आम रास्ता (बापला सडक) व पश्चिम दिशा में पडत भूमि है एवं नाप उत्तर-दक्षिण

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

में 45 फीट व पूर्व-पश्चिम में 30 फीट कुल 1350 वर्गफीट है। यह कि उक्त भूखण्ड़ प्रार्थी के पुराने कब्जे भोगवटे का नही है व न ही 24 वर्ष पुराना प्रार्थी के स्वामित्व का केबिन लगा हुआ है। उक्त पट्टे में अंकित चतुर्दशी व नाप का भूखण्ड़ अप्रार्थी संख्या-2 के कब्जे स्वामित्व का है, जिस पर गत 35 वर्षो से अधिक समय से अप्रार्थी संख्या-2 का कब्जा कानूनी एवं भौतिक रुप से मौके पर है। अप्रार्थी संख्या-2 अपने पट्टे स्वामित्व के भूखण्ड़ का गत 35 वर्षो से अधिक समय से उपयोग व उपभोग करता आ रहा है व मौके पर अप्रार्थी संख्या-2 के पत्थर व जलाउ लकडीयां पडी है। यह कि अप्रार्थी संख्या-2 को उक्त भूखण्ड़ का नि:शुल्क भूखण्ड़ आवंटन होने पर अप्रार्थी संख्या-2 को मौके पर ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा कब्जा सुपर्द किया गया, तब अप्रार्थी संख्या-2 ने पट्टे में अंकित शर्त अनुसार मौके पर कच्चा केलूपोश मकान व आवासीय झौपडा बनाया था जो जर्जर होकर गिर गये थे। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या-2 ने वर्ष 2016 में उक्त पट्टे स्वामित्व के भूखण्ड़ पर नये सर सफाई कार्य शुरु करवाया, तब प्रार्थी के परिवारजनों ने अप्रार्थी को धमकी दी कि वे अप्रार्थी संख्या-2 को उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड़ में निर्माण कार्य नही करने देंगे व जबरन अप्रार्थी के भूखण्ड़ पर केबिन रख देंगें तथा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। इस दरम्यान अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा अपने कब्जे स्वामित्व के भूखण्ड़ पर निर्माण कार्य शुरु करवाने पर प्रार्थी एवं उसके परिवारजन द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के भूखण्ड़ में दिनांक 10.2.2016 को अनाधिकृत रुप से प्रवेश कर तोड फोड कर सामान वगैराह लेकर गये। जिसका फौजदारी मुकदमा भी अप्रार्थी संख्या-2 ने पुलिस थाना मण्डार में प्रार्थी व उसके परिवारजनों के विरुद्ध दर्ज करवाया। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 26 दिनांक 13.2.2016 है। इस प्रकार, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के भूखण्ड़ को हडप करने पर असफल होने पर प्रार्थी ने यह निगरानी आवेदन मनगंढत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या-2 के विरुद्ध पट्टा संख्या 6 दिनांक 30.12.1982 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या-2 ने ग्राम पंचायत, जेतावाडा में नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड़ हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अप्रार्थी संख्या-2 के पात्रता की जांच करवाकर ग्राम पंचायत, जेतावाडा ने राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पालना करते हुए ग्राम पंचायत, जेतावाडा की बैठक दिनांक 26.12.1982 में विधिवत प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी संख्या-2 को उक्त 1350 वर्गफीट भूखण्ड़ का नि:शुल्क आवंटन करते हुए नि:शुल्क भूखण्ड़ आवंटन का पट्टा संख्या 6 दिनांक 30.12.1982 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा दिनांक 26.12.1982 को अप्रार्थी संख्या-2 के अलावा 14 अन्य व्यक्तियों को भी नि:शुल्क भूखण्ड़ आवंटन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा जब वर्ष 2016 में अपने भूखण्ड़ पर निर्माण

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्य चालू किया तो पंचायत द्वारा नोटिस देने पर अप्रार्थी संख्या-2 ने निर्माण कार्य बन्द कर दिया। ग्राम पंचायत, बांट द्वारा दिनांक 12.2.2016 को पट्टेशुदा भूखण्ड़ का मौका निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत, जेतावाडा की वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा किये गये मौका निरीक्षण रिपोर्ट 12.2.2016 में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि मौके पर पूनमाराम पुत्र दानाजी द्वारा अपने नाम के नि:शुल्क पट्टे के आधार पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है व निर्माणकर्ता का नि:शुल्क पट्टा संख्या 6 दिनांक 30.12.1982 का बना हुआ है। वार्ड पंचों की निरीक्षण कमेटी ने निर्माण कार्य करने की सिफारिश भी मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित की है। यदि अप्रार्थी संख्या-2 मौके पर उक्त पट्टा संख्या 6 दिनांक 30.12.1982 में अंकित चतुर्दशी के भूखण्ड़ पर कब्जा नही होकर दूसरे भूखण्ड़ पर काबिज होता तो ग्राम पंचायत द्वारा एतराज किया जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत, जेतावाडा की वार्ड पंचों की समिति ने अप्रार्थी संख्या-2 का निर्माण कार्य चालु रखने की सिफारिश की है। इससे यह स्पष्ट है कि पट्टा संख्या 6 दिनांक 30.12.1982 से संबंधित भूखण्ड़ के मौके पर अप्रार्थी संख्या-2 का ही कब्जा है। अत: प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा अप्रार्थी पूनमा पुत्र दाना जी, जाति- कलबी, निवासी- बांट को क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट के भूखण्ड़ का नि:शुल्क आवंटन करते हुए पट्टा संख्या 6 दिनांक 30.12.1982 को जारी किया गया है। तत्समय प्रभावी, राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 267 के अर्न्तगत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषकों इत्यादि वर्ग के ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्वयं के कोई आवासीय गृह/स्थल उपलब्ध नही हो को 1350 वर्गफीट भूमि का आवासीय उपयोग हेतु नि:शुल्क आवंटन किया जा सकता था।

इस संबंध में ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा प्रस्तुत संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अप्रार्थी पूनमा पुत्र दाना जी, जाति- कलबी, निवासी- बांट ने ग्राम पंचायत, जेतावाडा में आवासीय भूखण्ड़ आंवटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पात्रता की जांच कराई गई, जो आवासीय भूखण्ड़ हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित है एवं जिस पर सरपंच, ग्राम पंचायत जेतावाडा व पटवारी हल्का, जेतावाडा के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत, जेतावाडा ने दिनांक 26.12.1982 को प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी पूनमा पुत्र दाना जी, जाति- कलबी, निवासी- बांट को नि:शुल्क भूखण्ड़ आवंटन का निर्णय लिया गया है। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत, जेतावाडा ने अप्रार्थी संख्या-2 को नि:शुल्क भूखण्ड़क आवंटन का पट्टा संख्या 6 दिनांक 30.12.1982 को जारी किया है।

....पेज पांच पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा दिनांक 26.12.1982 को अप्रार्थी पूनमा पुत्र दाना जी कलबी, निवासी- बांट के अलावा अन्य 14 व्यक्तियों को भी नि:शुल्क भूखण्ड़ आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 267 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 को विधिवत नि:शुल्क भूखण्ड़ आवंटन कर नि:शुल्क भूखण्ड़ आवंटन का पट्टा संख्या 6 दिनांक 30.12.1982 को जारी किया गया है।

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी पूनमा को ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा नि:शुल्क भूखण्ड़ आवंटन का पट्टा जारी करने से पूर्व अप्रार्थी पूनमा के पास स्वयं का कोई आवासीय गृह या आवासीय स्थल उपलब्ध हो अर्थात् अप्रार्थी पूनमा नि:शुल्क भूखण्ड़ प्राप्त करने की पात्रता नही रखता हो। प्रार्थी पक्ष ने ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी पूनमा ने उक्त पट्टा संख्या 6 दिनांक 30.12.1982 में अंकित शर्त का उल्लंघन किया हो। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित चतुर्दशी व प्रश्नगत पट्टा संख्या 6 दिनांक 30.12.1982 में अंकित चतुर्दशी आपस में मेल भी नही खाती है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

21.10.2019

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.11.08 12:38:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: